

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक : F 2( )Bud./SNA/ICDS/2021/ 63776-808

जयपुर, दिनांक :  
27/4/2022

उपनिदेशक,  
महिला एवं बाल विकास सेवाएँ,  
समस्त।

विषय:-विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत खोले गये SNA (Single Nodal Account) के क्रियान्वयन हेतु अधीनस्थ कार्यालयों के कार्मिकों को प्रशिक्षित करने एवं भुगतान/व्यय SNA के माध्यम से सुनिश्चित करने बाबत।

संदर्भ:- विभाग का पत्रांक 61943-75 दिनांक 22.4.22

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत निधियों की प्राप्ति, उपयोग एवं नियंत्रण हेतु खोले गये सिंगल नोडल बैंक खाते (SNA) के मॉड्यूल की प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन/संचालन के लिए भौतिक एवं वर्चुअल प्रशिक्षण निदेशालय, कोष एवं लेखा तथा एनआईसी द्वारा दिनांक 25.4.2022 को अपराह्न 3.00 से निदेशालय, कोष एवं लेखा विभाग, वित्त भवन, जयपुर के मीटिंग हॉल में दिया गया।

विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु आपके जिले के जिन प्रतिनिधियों ने एसएनए से संबंधित कार्य करने हेतु मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण, प्राप्त कर लिया है, को अधीनस्थ परियोजना कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किये जाने देने हेतु अपने स्तर से पाबंद करावें। साथ ही विभिन्न योजनाओं में होने वाले भुगतान/व्यय SNA के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करावें।

22/4/2022  
निदेशक  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : F 2( )Bud./SNA/ICDS/2021/ 63809-64112  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ, समस्त।
2. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

जयपुर, दिनांक :  
27/4/2022

  
वित्तीय सलाहकार